1/25/23, 11:48 AM about:blank

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to bring an ordinance on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

प्रो. चिंतामणि मालवीय (उज्जैन): महोदया, आपने मुझे पूरे देश में फैली अनुसूचित जाति-जनजाति की पीड़ा और विसंगति को सदन के समक्ष रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदया, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि कानून बनाने का काम विधायिका का है और उसकी व्याख्या न्यायपालिका करती है। पिछले 21 मार्च को माननीय न्यायालय ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम, 1990 में बदलाव करते हुए, जो अपराध दर्ज होते हैं, उसमें गिरफ्तारी के लिए अनुमित आवश्यक कर दी है। यदि सरकारी कर्मचारी होता है तो उसके लिए अधिकारी या नियोक्ता की अनुमित और जन-सामान्य है तो उसके लिए (एस.एस.पी.) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुमित आवश्यक होती है।

महोदया, इससे बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसकी व्यावहारिक कठिनाइयों और परेशानियों को समझते हुए इसका तुरन्त संज्ञान लिया और शीघ्र सुनवाई के लिए पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की है। कोर्ट ने इसकी शीघ्र सुनवाई से मना कर दिया है।

महोदया, इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। पहले तो रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले जाँच होती है और जाँच हो गई तो गिरफ्तारी के लिए दो-दो महीने से ज्यादा का समय लगता है। जो गाँव का गरीब व्यक्ति है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, उसको कार्रवाई कराने के लिए एस.एस.पी. के पास जाना पड़ता है। इसके बाद कार्रवाई बहुत कम हो गई है। गिरफ्तारी नहीं होने से और अग्रिम जमानत का प्रावधान होने से अनुसूचित जाति के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हुई है।

महोदया, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो सामान्य अपराध होता है, उसकी कार्रवाई तुरन्त हो जाती है, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ कोई भी अपराध होता है तो वह उसी अध्यादेश में जाता है, उस अधिनियम में जाता है। इस वजह से गिरफ्तारी और कार्रवाई में देरी हो रही है। इससे सामाजिक समरसता का वातावरण बिगड़ रहा है। देश में जो पीड़ित और शोषित समाज है, वह अपने आपको असहाय समझ

about:blank 1/2

1/25/23, 11:48 AM about:blank

रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार नहीं है तो सरकार इसके लिए एक अधिनियम लाये। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के जो लोग हैं, सरकार उनको इस अत्याचार से मुक्ति दिलाए और उनके साथ खड़े होने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र कश्यप, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री राजेश रंजन तथा डॉ. किरिट पी. सोलंकी को प्रो. चिंतामणि मालवीय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

about:blank 2/2